

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 276 अतारांकित सत्र (जुलाई-अगस्त 2021)

क्र	निकाय का नाम	वर्ष	लाना/दिले गये हितग्राहियों की संख्या	आवासों की स्थिति		किस्त प्राप्त होने वाले हितग्राहियों की संख्या				हितग्राहियों की संख्या जिन्हें आवासीय पट्टा न मिलने से निर्माण कार्य नहीं हो सका			आवासीय पट्टा उपलब्ध कराने की अवधि
				पूर्ण	प्रगतिरत	जारी की गई किस्त			वितरण हेतु शेष				
						प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	तृतीय किस्त	द्वितीय	तृतीय	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
		2015-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2016-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2017-18	533	267	231	21	220	257	21	220	0	0	
		2017-18	208	81	116	43	72	82	54	126	0	0	
		2020-21	44	2	30	32	2	0	42	44	0	0	
		2021-22	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	1453	350	377	96	294	339	117	390	0	0	

टीप- इस योजना अंतर्गत जो आवासहीन/शुद्धिहीन व्यक्ति शेष रह गये हैं, उनको आवासीय भूमि उपलब्ध कराने की दृष्टि से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यौहारी कार्यालय में भूमि आवंटन प्रकरण प्रचलित है।

प्रश्न क्रमांक 276]
समस्त हितग्राहियों के पास आवासीय पट्टा है न शेषों का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

[12/8/2021]

अनुभाषा अधिकारी

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

उपयंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय